प्राक्कथन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

प्रतिवेदन में 2017-23 की अवधि को कवर करते हुए **'शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन'** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।